मंगलवार
04 नवंबर 2014
वर्ष : 8 अंक : 329
कुल पृष्ठ : 12, मूल्य : एक रुपया
रांची (झारखंड)
आर.एन.आई. सं.: JHAHIN/2006/18922
पोस्टल रजिस्ट्रेशन:आरएन/224/2014-16
email:rastriyasagarrch@gmail.com

राष्ट्रीय सागर

रांची एवं नई दिल्ली से एक साथ प्रकाशित

सच्ची खबर, सबकी खबर

अस्तित्व का हो रहा है उत्खनन

जसिन्ता केरकेट्टा

स्वतंत्र पत्रकार एवं यूएनडीपी फेलो

रांची। साहेबगंज जिले के पहाड़ों पर रहने वाले पहाड़ियाओं के अस्तित्व का उत्खनन हो रहा है। राजमहल की पहाड़ियों पर स्वतंत्र रूप से जीने वाले पहाड़िया आज विलुप्ती की कगार तक पहुंच गए हैं। इस पर तुर्रा यह है कि सरकार आदिम जनजातियों को बचाने के लिए करोड़ों रूपये खर्च कर रही है। फिर भी उनका अस्तित्व खतरे में क्यों है। आदिम जनजाति पहाड़ियाओं की दुर्दशा के कारणों की पड़ताल करती रिपोर्ट साहेबगंज जिले में आदिम जनजाति पहाड़ियाओं की आजीविका संकट में है । वहीं दूसरी ओर पहाड़ों पर अत्याचार की आजीविका से गैर-पहाड़िया फल-फूल रहे हैं। आदिम पहाड़िया जनजाति के लोग राजमहल की पहाड़ियों पर फैले हुए हैं। उनकी तीन उप जाति है- माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया और कुमारभाग पहाड़िया। कुमारभाग पहाड़ियाओं की आबादी लगभग समाप्त हो चुकी है। माल पहड़ियाओं की संख्या भी बहुत कम है। इतिहास में भारत भ्रमण पर आए यूनानी यात्री मेगस्थनीज ने भागलपुर के दक्षिण में मंदराचल पर्वत का भ्रमण किया था। इस दौरान उन्होंने मंदराचल पर्वत के जंगलों में जिन लोगों को देखकर माली कहा, उन्हीं लोगों को आज माल पहाड़िया कहा जाता है। 1873 के प्रथम बंदोबस्ती के अनुसार संताल परगना के पहाड़ी क्षेत्रों में कुल पहाड़िया गांवों की संख्या 305 थी। 140 सालों के बाद आज जिले में उन गांवों की संख्या मात्र 432 है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी संख्या किस तरह घट रही है। आज साहेबगंज जिले में पहाड़िया परिवारों की संख्या मात्र 8397 और पूरे जिले में उनकी जनसंख्या 37885 रह गयी है। इसमें माल पहाड़िया की संख्या मात्र 367 है। आदिम जनजाति पहाड़िया आज पूरी तरह विलूप्ती की कागार पर

खड़ी है।

दामिन-इ-कोह का अस्तित्व खतरे में

अंग्रेजों द्वारा सीमांकित दामिन-इ-कोह का अस्तित्व आज खतरे में है। दामिन-इ-कोह पर्शियन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है पहाड़ का आंचल। अंग्रेजी शासकों ने क्लीवलैंड योजना के तहत राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का सीमांकन कर उसे जमींदारी शासन से मुक्त रखा था। 1824 में जॉन पेटी वार्ड व सर्वे अधिकारी कैप्टन टेनर को सीमांकन का काम सौंपा गया था। यह काम 10 वर्षो तक चला। 1833 में सीमांकन का काम पूरा हुआ और 1356 वर्गमील क्षेत्र की घेराबंदी जगह-जगह खंभा गाड़ कर और पंक्तिबद्ध ताड़ के पेड़ लगाकर की गयी। दामिन-इ-कोह में संताल परगना के गोड्डा, दुमका, पाकुड़ और राजमहल के हिस्से शामिल किए गए। इस क्षेत्र को सरकारी महल घोषित किया गया और पहाड़िया-संताल को छोड़ अन्य जातियों के निवास पर प्रतिबंध लगाया गया। अंग्रेजों ने दामिन-इ-कोह को चार क्षेत्र में बांटा। इसमें सुंदरपहाड़ी, बरहेट, हिरनपुर व काठीकुंड रखा गया था। वर्तमान में दामिन-इ-कोह बारह प्रखंडों में विभाजित है। इसमें गोड्डा जिला का बोआरीजोर व सुंदरपहाड़ी, दुमका जिला का काठीकुंड व गोपीकांदर, पाकुड़ जिला का अमड़ापाड़ा, लिट्टीपाड़ा और हिरनपुर और साहेबगंज जिले का बोरियो, बरहेट, पतना, तालझारी व मांडरा शामिल है। बदलते समय के साथ दामिन-इ-कोह में बाहरी लोगों का प्रवेश बढ़ा। जिले के मुख्य शहर में बहुत कम आदिवासी परिवारों को देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, गैर-आदिवासियों द्वारा पहाड़ों पर कब्जा जमाकर पहाड़िया आदिम जनजाति को उनके ही पहाड़ों से बेदखल करने की साजिश जोर-शोर से चल रही है। दामिन-इ-कोह में संताल परगना काश्तकारी अधिनियम प्रभावी है। यहां की जमीनें न लीज पर दी जा सकती है न बेची जा सकती है। इसमें कोई शक नहीं कि राजमहल की पहाड़ियां जिस गति से कट रही हैं, उसमें आदिम जनजाति पहाड़ियाओं का अस्तित्व में होना जल्द ही इतिहास की बात बन कर रह जायेगी। **जारी...**